प्रेस विज्ञप्ति
27.06.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स अशोका प्रॉपर्टी डेवलपर्स और अन्य के बैंक धोखाधड़ी मामले में दिनांकः 27/06/2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अशोक कुमार सिंह, आशीष कुमार सिंह, सदाशिव उर्फ मेहुल पांडे और जनार्दन पांडे के लाभकारी स्वामित्व वाली कंपनियों/इकाइयों के माध्यम से मुंबई और जौनपुर, उत्तर प्रदेश में अर्जित भूमि, आवासीय फ्लैट और वाणिज्यिक भवन के रूप में 4.19 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

ईडी ने मेसर्स अशोका प्रॉपर्टी डेवलपर्स, अशोक कुमार सिंह, आशीष कुमार सिंह और अन्य के खिलाफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत के आधार पर आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत सीबीआई, ईओडब्ल्यू, मुंबई द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। सीबीआई ने उक्त मामले में आरोप पत्र दायर किया है।

ईडी की जांच से पता चला है कि अशोक कुमार सिंह (मेसर्स अशोक प्रॉपर्टी डेवलपर्स के मालिक) और आशीष कुमार सिंह ने सदाशिव (जिन्हें मेहुल पांडे के नाम से भी जाना जाता है), जनार्दन पांडे और अन्य के साथ मिलकर बैंकों को धोखा देने के इरादे से फर्जी और जाली दस्तावेजों का उपयोग करके आपराधिक साजिश रचकर बैंक धोखाधड़ी की और 17 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत करवाया, जिसकी धनराशि को संबंधित और फर्जी संस्थाओं द्वारा अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए डायवर्सन के माध्यम से निकाल लिया गया, जबकि उधार ली गई राशि को चुकाने का उनका कोई इरादा नहीं था।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।